राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांकः– रामाशिप / जय / ICT- 1st Phase/ 16588 दिनांकः 8 / 10 / 2015

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी **स्मरण–पत्र**
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम / द्वितीय),
समस्त जिले।

विषयः– आईसीटी प्रथम फेज के बकाया भुगतान की सूचना के सम्बन्ध में।

संदर्भः– कार्यालय का पत्र क्रमांकः– रामाशिप / जय / ICT-1st Phase / 16342 दिनांक 24.09.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आईसीटी प्रथम चरण दिनांक 31.12.2013 को समाप्त हो गई है। इस चरण की सेवा प्रदाता फर्मो द्वारा बकाया भुगतान की मांग की जा रही है। प्रथम चरण की अवधि में इन फर्मो को पूर्व में विद्यालय तथा बाद में जिला कार्यालय से भुगतान किया गया था। इन फर्मो को नियमानुसार आवश्यक कटौती कर भुगतान किया जाना है।

अतः सेवाप्रदाता फर्म के प्रतिनिधि एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय से संबंधित लिपिक, आईसीटी के कार्यक्रम अधिकारी दिनांक 1 अक्टूबर 2015 से 15 अक्टूबर 2015 के बीच लेखों का मिलान करने तथा वास्तविक बकाया राशि की स्थिति स्पष्ट कर बकाया भुगतान की सत्यापित रिपोर्ट इस कार्यालय को 20 अक्टूबर 2015 तक आवश्यक रुप से प्रेषित करने हेतु लिखा गया था किन्तु सेवाप्रदाता फर्म द्वारा अवगत कराया है कि अब भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कोई कार्य नही किया जा रहा है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण कर परिषद कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करें।

(जस्सा राम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त, रा.मा.शि.प., जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा समस्त संभाग को देकर लेख है कि उपरोक्त कार्यवाही के अनुसार सम्बंधित को निर्देशित करे।
4. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को देकर लेख है कि उपरोक्त कार्यवाही सम्पादित कर अवगत कराने का श्रम करें।
5. मैसर्स कम्प्यूकॉम सॉफटवेयर लिमिटेड एवं मैसर्स एडयूकॉम सोल्यूशन लिमिटेड को देकर लेख है कि आपकी टीम को सम्बंधित जिलो में उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार जिलो में रिकार्ड सहित भेजने की आवश्यक कार्यवाही करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

8/10/15
अतिरिक्त आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।